[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या–9 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,– 1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 10 का संशोधन।

(i) उप–धारा (3) में, ''(1), (2) तथा (4)'' कोष्ठकों, अंकों, चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, ''(1) तथा (2)'' कोष्ठक, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:–

''(4) (क) प्रत्येक नगरपालिका में पिछड़े वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस नगरपालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात का आधा होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में भी चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित की जाएंगी:

परन्तु नगरपालिका में कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग 'क' से सम्बन्धित होगा, यदि उनकी जनसंख्या, नगरपालिका की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है:

परन्तु यह और कि जहाँ इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस नगरपालिका में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्ग 'क' तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस नगरपालिका में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– (1) इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगरपालिका में पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की जाए।

व्याख्या.– (2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों हेतु, नगरपालिका में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहां दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए अथवा जहां दशमलव मान 0.5 से निम्न है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए, नगरपालिका की कुल सीटों के आधे के रूप में ली जाएगी;

(ख) इस उप–धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'क' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप–धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।";

(iii) उप–धारा (5) में, "पिछड़ा वर्गों" शब्दों के स्थान पर, "पिछड़े वर्ग 'क' " शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(iv) उप–धारा (7) में, ",(4)" चिह्न, कोष्ठकों तथा अंक का लोप कर दिया जाएगा तथा 16 मई, 2023 से लोप कर दिया गया समझा जाएगा ।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 203 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 203 में,–

(i) उप–धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु जहाँ कोई व्यक्तिक या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने या अनुमोदन के लिए आवेदन करता/करती है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा तथा समिति से कोई भी संकल्प अपेक्षित नहीं होगा। यदि किसी व्यक्तिक या कम्पनी से नगर योजना स्कीम के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उपायुक्त आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी सम्बन्धित दस्तावेजों सहित उसे सरकार को भेजेगा। तथापि, समिति से संकल्प अपेक्षित होगा यदि समिति अपनी भूमि पर या किसी व्यक्तिक या कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से अनिर्मित क्षेत्र के लिए नगर योजना स्कीम और निर्मित क्षेत्र के लिए भवन योजना बनाती है।" ;

(ii) उप–धारा 2 में,–

(क) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखत परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु किसी व्यक्तिक या कम्पनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर योजना स्कीम लागू की जाती है तो सार्वजनिक नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

4. (1) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243न में वर्णित आरक्षण नीति द्वारा पालिकाओं की संरचना निर्देशित होती है। इसके खंड (6) में प्रावधान है कि "इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान–मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी पालिका में स्थानों के या पालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।" भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डॉ0 के0 कृष्ण मूर्ति व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2010) 7 एस.सी.सी. 202 के मामले में दिनांक 11.05.2010 के अपने निर्णय में अनुच्छेद 243न (6) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह प्रावधान राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटें और अध्यक्ष के पद आरक्षित करने में सक्षम बनाता है।

2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 की याचिका (सिविल) संख्या 980 शीर्षक विकास किशनराव गवाली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में दिनांक 04.03.2021 को पारित अपने फैसले के माध्यम से आगे कहा कि राज्य विधान, राज्य भर में, एक स्वतंत्र आयोग द्वारा पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की उचित जांच के बिना स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की एक समान और कठोर मात्रा प्रदान नहीं कर सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पहले राज्य द्वारा अनुपालन की जाने वाली तीन परीक्षण शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जाना अपेक्षित है–

(1) राज्य में स्थानीय निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना;

(2) आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत, स्थानीय निकाय–वार प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण के अनुपात को विनिर्दिष्ट करना, ताकि अत्याधिकता न हो; और

(3) किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में 50 प्रतिशत ऊध्वार्धर आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा।

एक अन्य याचिका (सिविल) संख्या 278 का 2022 शीर्षक सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2022 में कहा गया है कि जब तक राज्य सरकारों द्वारा 'सभी तरह से' ट्रिपल टैस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है, तब तक राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है और सभी राज्य सरकारों व सम्बन्धित राज्य चुनाव अयोगों को संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए इसका पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

आगे, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 18977–2021 में सी.एम.–3239–सी.डब्लयू.पी.–2022 के साथ सिविल याचिका संख्या

21883–2021 में सी.एम.–3200–सी.डब्लयू.पी.–2022 में दिनांक 17.05.2022 को पारित अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2022 को पारित किए आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए गये हैं।

3. सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.07.2022 द्वारा, अन्य कार्यों के साथ–साथ, राज्य में, पंचायती राज संस्थाओं और पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए किए जाने वाले प्रावधान में आरक्षण के अनुपात का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने पालिकाओं के चुनावों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है जिसके लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन आवश्यक है। प्रत्येक पालिका में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस पालिका में कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस पालिका की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात की आधी होंगी।

4. भारत में अंतिम जनगणना जिसमें जाति आधारित आंकड़ें शामिल किये गये थे, 1931 में की गई थी। 1951 के बाद से प्रत्येक जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रकाशित की गई है। इस प्रकार जनगणना में पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत परिवार सूचना डाटा कोष (एफ.आई.डी.आर.) की स्थापना की है, जिसमें परिवारों में गठित हरियाणा के निवासियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है जिसे गतिशील रूप से अद्यतन और समय–समय पर सत्यापित किया जाता है। 18 अगस्त, 2023 तक एफ.आई.डी.आर. में 2,76,72,355 व्यक्तियों के साथ कुल 69,00,836 परिवारों को पंजीकृत किया गया है।

5. इसलिए, पालिकाओं के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षण के प्रयोजनार्थ एफ.आई.डी.आर. में उपलब्ध आंकड़ों पर विचार किया गया है। पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटों का आरक्षण और प्रत्येक पालिका के लिए पिछड़े वर्ग 'क' सहित सीटों की कुल संख्या, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर नियत की जाएगी।

6. मतदाता–जनसंख्या (ईपी) अनुपात के अनुसार, राज्य में, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर योग्य मतदाताओं की संख्या लगभग 700 है। चूंकि, परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और इस बात की संभावना है कि कुछ क्षेत्रों में अधिकांश निवासियों ने एफ.आई.डी.आर में पंजीकरण नहीं कराया हो, इस प्रकार यह भी विचार किया गया है कि जहां परिवार सूचना डाटा कोष से ली गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम है, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा। आगे, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से हरियाणा नगरपालिका परिसीमन

नियम, 1977 के नियम 7 में संशोधन करके पालिका के वार्डों में जनसंख्या भिन्नता की सीमा को प्रति वार्ड औसत जनसंख्या से ऊपर या नीचे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है।

7. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप हरियाणा राज्य में अध्यक्षों के पदों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 70क के तहत प्रावधान किया गया है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टैस्ट की तीसरी शर्त के अनुपालन में, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या, पालिका में कुल सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस पालिका में कुल सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

9. इसलिए, प्रत्येक पालिका की सीटों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

10. शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 के प्रावधान के तहत राज्य में नगरपालिका समिति/परिषद के क्षेत्र के भीतर नगर नियोजन योजना की मंजूरी देता है।

11. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 की उपधारा (1) के तहत यह प्रावधान है कि जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी भूमि पर नगर नियोजन योजना की तैयारी/अनुमोदन के लिए आवेदन करता है, तो गैर निर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाऐगा। पालिका इस तरह के प्रस्ताव को पहली बार विचार के लिए रखे जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर नगर नियोजन योजना के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी, अन्यथा उपायुक्त नगर नियोजन योजना के प्रस्ताव को सीधे राज्य सरकार को भेज देगा।

12. आगे, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 की उपधारा (2) के तहत प्रावधान के अधीन अगर कोई योजना तैयार की जाती है तो पालिका ऐसी योजना के संबंध में सर्व साधारण से सार्वजनिक सूचना के माध्यम से कोई भी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में जिसे वह करना चाहता है 30 दिनों के भीतर पालिका को प्रस्तुत कर सकता है।

13. उपरोक्त वर्णित, पालिका द्वारा प्रस्ताव को पारित करना एवं सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान नगर आयोजना योजना के अनुदान की प्रक्रिया को हतोत्साहित और विलंबित करता है। आगे, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975, (हरियाणा अधिनियम संख्या 8, का 1975) के प्रावधान के तहत नगरपालिका क्षेत्र के भीतर और नगरपालिका क्षेत्र के बाहर लाइसैंस प्रदान

करता है, लेकिन उक्त अधिनियम या नितियों में सदन से प्रस्ताव पारित करने तथा सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता जैसी कोई शर्त नहीं है।

14. इसलिए किफायती आवास की गुणवत्ता की उपलब्धता बढाने के उद्देश्य से, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में पालिका से प्रस्ताव पारित करने तथा सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह परेशानी मुक्त तरीके से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने में भी सहायक होगा।

15. इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 की उपधारा (1) में मौजूदा प्रावधान को प्रस्तावित से प्रतिस्थापित किया जाये कि यदि नगर नियोजन योजना किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा अपनी भूमि पर लगाई जाती है तो पालिका द्वारा प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी और पालिका द्वारा प्रस्ताव पारित की आवश्यकता केवल तभी होगी जब पालिका अपनी भूमि पर गैर–निर्मित क्षेत्र में नगर नियोजन योजना और निर्मित क्षेत्र में निर्मित योजना या पालिका द्वारा इकट्ठे किसी व्यक्ति या कंपनी की भूमि पर नगर नियोजन योजना बनाती है। तदानुसार, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 203 की उपधारा (2) के बाद यह प्रावधान जोड़ा जाना प्रस्तावित है कि यदि किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर नियोजन योजना लागू की जाती है तो सार्वजनिक सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगीं।

डॉ0 कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 23 अगस्त, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 अगस्त, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 से उद्धरण

10. स्थानों का आरक्षण.–

(1) XXX XXX XXX XXX XXX

(2) XXX XXX XXX XXX XXX

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनमें अनुसूचित जातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी शामिल हैं) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और उपधारा (1), (2) तथा (4) के अधीन आने वाली नगरपालिकाओं के सिवाय ऐसे स्थान किसी नगरपालिका से भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा और लाट द्वारा आंबटित किये जा सकेंगे।

(4) प्रत्येक समिति में दो स्थान पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये आरक्षित होंगे, जो पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों की अधिकतम जनसंख्या वाले ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में आबंटित किये जाएंगें।

(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद सामान्य प्रवर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित सदस्यों तथा महिलाओं में से चक्रानुक्रम तथा लाट द्वारा विहित रीति में भरे जायेंगे।

(6) XXX XXX XXX XXX XXX

(7) उपधारा (1), (2), (4), तथा (5) के अधीन स्थानों के आरक्षण की प्रत्येक दस वर्षीय जनगणना के बाद समीक्षा की जायेगी।

(8) XXX XXX XXX XXX XXX

203. निर्माण स्कीम.–

(1) XXX XXX XXX XXX XXX

परन्तु जहां कोई व्यक्ति या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने/अनुमोदन के लिए आवेदन करता है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा। पालिका प्रथम बार के लिए इसके विचारण हेतु तिथि जिसको ऐसा प्रस्ताव पेश करता है से साठ दिन के भीतर नगर योजना स्कीम के अनुमोदन के लिए संकल्प पारित करेगा, अन्यथा उपायुक्त सरकार को सीधे तौर पर नगर योजना स्कीम का प्रस्ताव भेजेगा।

(2) जब उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन कोई स्कीम तैयार की गई है, तो पालिका ऐसी स्कीम का सार्वजनिक नोटिस देगी और उसी समय ऐसे नोटिस की तिथि से कम से कम तीस दिन बाद की ऐसी तिथि भी सूचित करेगी, जिस तक कोई व्यक्ति ऐसी स्कीम के संबंध में कोई ऐसा आक्षेप या सुझाव, जिसे वह देना चाहें, पालिका को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) के अलावा विधेयक में अन्य संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 203 में,–

(i) उप–धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु जहाँ कोई व्यक्तिक या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने या अनुमोदन के लिए आवेदन करता/करती है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा तथा समिति से कोई भी संकल्प अपेक्षित नहीं होगा। यदि किसी व्यक्तिक या कम्पनी से नगर योजना स्कीम के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो उपायुक्त आवेदन प्राप्त होने के तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी सम्बन्धित दस्तावेजों सहित उसे सरकार को भेजेगा। तथापि, समिति से संकल्प अपेक्षित होगा यदि समिति अपनी भूमि पर या किसी व्यक्तिक या कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से अनिर्मित क्षेत्र के लिए नगर योजना स्कीम और निर्मित क्षेत्र के लिए भवन योजना बनाती है।" ;

(ii) उप–धारा 2 में,–

(क) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखत परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु किसी व्यक्तिक या कम्पनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर योजना स्कीम लागू की जाती है तो सार्वजनिक नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।"

10548—H.V.S.—H.G.P., Pkl.